

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, २००० संत्र

विधायक अवार्द्ध सूची

गुरुवार, दिनांक २० जुलाई, २००० (आषाढ २९, १९२२)

समय १०.३० बजे बिन

१. प्रश्नोत्तर

पृथक्कस्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिये जाएंगे।

२. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ५ सन् १९९५) की धारा ८० की उपधारा (५) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएँ :-

- (क) क्रमांक ८-३-७६-९९-विक-पांच (२६), दिनांक ३० मार्च, २०००; तथा
(ख) क्रमांक ८-३-७४-९९-वि.क.-पांच (४९), दिनांक ९ जून, २०००,

पटल पर रखेंगे।

३. नियम १३१ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण

(१) सर्वश्री महेश तिवारी, कंकर मुजारे, मुशीलाल, सदस्य, भिलाई नगर के राजेन्द्र चौक निवासी चार सारी बहनों द्वारा सामूहिक रूप से आत्महत्या किये जाने की ओर गुह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(२) सर्वश्री बुजामोहन अब्दीनारायण, लाल सिंह, तेजसिंह सेठव, सदस्य, वेवास जिले के खातेगांव में प्रवर्णनविभागियों के साथ पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने की ओर गुह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

निर्धारित
समय

४. शासकीय विधि विवरण कार्य

१ घन्टा (१) डॉ. प्रेमसायं सिंह, राजस्व मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २००० (क्रमांक १६ सन् २०००) पर विचार किया जाए-चार्चा का पुनर्व्यवस्था

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

२ घन्टे

(२) श्री रत्नेश सौलोमन, उच्च विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अशासकीय विकास संस्था (आव्यापकों तथा अन्य कर्पर्चारियों के वेतनों का संवाद) संशोधन विधेयक, २००० (क्रमांक १९ सन् २०००) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

१ घन्टा

(३) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २००० (क्रमांक २० सन् २०००) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

३० मि.

(४) श्री धनेन्द्र साह, राजपर्मंत्री धार्मिक व्यास एवं धर्मस्व, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर मंदिर (संशोधन) विधेयक, २००० (क्रमांक २१ सन् २०००) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

५. नियम १३१ के अधीन अधिलम्बनीय सोक महत्व के विवरण पर चर्चा

१ घन्टा

प्रेस में सहकरों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के अम्बन्ध में श्री बुजामोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री धूपेन्द्र सिंह, डॉ. गौरीशंकर शेजार, सर्वश्री नरेन्द्र विरथरे, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरोत्तम मिश्र, लाल सिंह, लक्ष्मण सिंह, नारायण प्रसाद छंवेल, अमर अग्रवाल, मुज्जा सिंह, प्रभाकर सिंह तथा श्री महेश तिवारी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

भोपाल :
दिनांक : १९ जुलाई, २०००

डॉ. पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।